कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ।
पत्रांक 4100 /14–10 ,अलीगढः दिनांकः मईः 05 ,2015

सेवामें,

परियोजना प्रबन्धक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यावयन इकाई,
3–सी / 446, बौद्ध विहार (स्प्रिंगफील्ड कालेज के पीछे),
दिल्ली रोड, मुरादाबाद–244001 (उ0प्र0)

विषयः– एन0एच0–93 किमी0 85.700 से 100.372 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अंतर्गत 7.446 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 609 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भः– आपका पत्रांक 31011 / 4 / 2010 / PIU-MBD/15101 दिनांक 04.02.2015

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय में 4 प्रतियों में प्रस्तुत किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित मानचित्रों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. 1:50000 स्केल पर टोपोशीट उपलब्ध करायें जिसमें क्षतिपूरक वनीकरण स्थल को चिन्हित किया जा सके।
2. क्षतिपूरक वनीकरण स्थल का **Geo-referenced digital map** उपलब्ध करायें।

इसके अतिरिक्त वनाधिकार अधिनियम–2006 के अंतर्गत जिलाधिकारी, अलीगढ द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य हेतु आप अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर इस कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें ताकि क्षतिपूरक वनीकरण स्थल के बारे में आवश्यक जानकारी दी जा सके एवं FRA-2006 के अंतर्गत कार्यवाही करायी जा सके।

भवदीय,

(डी0पी0गुप्ता)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ।

O/C